न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 02/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/8

प्रार्थीया:—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
1. श्रीमति वीणादेवी सुराणा पत्नी भीकमचंद सुराणा जाति जैन निवासी राणावास तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली जरीये आम मुख्तियार भीकमचन्द पुत्र सम्पतराज जाति जैन निवासी राणावास		1. नारायणलाल पुत्र नेनाजी जाति सीरवी निवासी राणावास तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली 2. सरंपच, ग्राम पंचायत राणावास तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :—

1. प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित।

—: निर्णय :—

दिनांक : 11.7.2024

प्रार्थींया की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत राणावास द्वारा जारी मिसल संख्या 30 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 नारायणलाल पुत्र नेनाजी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 43 दिनांक 29.03.1984 विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीया ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थीया ने ग्राम राणावास स्टेशन में एक आवासीय मकान सिलसिलेवार विक्रय विलेख के पश्चात तत्कालीन मालिक शकुन्तलादेवी पत्नी प्यारेलाल के वारिसान से जरिये पंजीबद्ध विक्रयपत्र दिनांक 12.11.2021 के द्वारा खरीद किया है। ठिकाना चण्डावल द्वारा मिसल संख्या 9/1945—46 की पालना में प्रताप पुत्र लका एवं भोला पुत्र चौथा के नाम प्लॉट संख्या 169 का पट्टा संख्या 48/1945—46 दिनांक 28.08.1946 को जारी किया गया था, जिसके पडौस पश्चिम दिशा में 18 गज चौडा आम रास्ता दर्ज है। इसी प्रकार ठिकाना चण्डावल द्वारा मिसल संख्या 6/1945—46 की पालना में तुलच्छीराम, उम्मेद वना, हुकमा, बाबु बेटा पोता कनीराम माली के नाम प्लॉट संख्या 168 का पट्टा संख्या 45/1945—46 एवं मिसल संख्या 7/1945—46 की पालना में भोला, शंकरलाल, रामचंद बेटा पोता चौथा माली के नाम प्लॉट संख्या 167 पट्टा संख्या 46/1945—46 जारी किया गया। उक्त तीनों पट्टे दिनांक 28.08.1946 को जारी किये गये, जिसके पड़ौस पश्चिम दिशा में 18 गज अर्थात् 36 फीट चौडा आम रास्ता

अति. जिला कलेक्टर, पाली

दर्ज है लेकिन मौके पर हमेशा से ही 31 फीट चौडाई का ही रहा है। पट्टे में नक्शा नाप व पडौस सहित बना हुआ है। उक्त सभी पट्टों का इन्द्राज ग्राम पंचायत राणावास में दिनांक 11.09.1960 को किया हुआ है। आम रास्ता आज भी मौके पर विद्यमान है, जो प्रार्थीया के मकान के पश्चिम दिशा में है, जिसका उपयोग रासते के रूप में प्रार्थीया सहित अडौसी, पडौसी एवं आम जन हमेशा से ही करते आ रहे है। आम रास्ता सार्वजनिक भूमि होती है, जिसकी ग्राम पंचायत केवल ट्रस्टी होती है, जिसका विक्रय करने का विधिनुसार ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अवैध रूप से जैर निगरानी पट्टा जारी करवा लिया लेकिन मौके पर उनका आधिपत्य ही नहीं है, न ही कोई कब्जा, निर्माण इत्यादि है। अप्रार्थी ने आवेदन किस दिनांक को पेश किया इस सम्बन्ध में कोई तथ्य अंकित नहीं है। मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचो को नियुक्त किया गया लेकिन उक्त आदेशिका कब लिखी गयी के सम्बन्ध में कोई जानकारी अंकित नहीं है। मौका निरीक्षण के अनुसार अप्रार्थी का पुश्तैनी कब्जा है जो कि पूर्णरूपेण झुठ है क्योकि मौके पर रास्ता है तो पुश्तैनी कब्जा नहीं हो सकता है। आदेशिका में पुश्तैनी कब्जा मानकर विक्रय विलेख करना दर्ज है लेकिन पट्टे में निलामी से विक्रय करना दर्ज है, जो कि विरोधाभाषी कथन है। नक्शे पर नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर नहीं है और मौका रिपोर्ट में केवल दो वार्ड पंच के ही हस्ताक्षर है तथा न ही आपत्ति ईश्तहार पर कोई चस्पानगी रिपोर्ट अथवा गवाहों के हस्ताक्षर अंकित है। मिसल एवं पट्टे में भुखण्ड की लोकेशन भी स्पष्ट नहीं है। निगरानी में कोई म्याद कानून लागू नहीं होता है। साथ ही पट्टे में दर्शित पडौस की नाप का भूखण्ड मौके पर एक्जीस्ट ही नहीं करता है। इसलिये ग्राम पंचायत की बिना अधिकारिता एवं अवैध कार्यवाही द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टे को निरस्त फ़रमावे। अधिवक्ता प्रार्थीया ने इसके सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 1984 RLW 528, 2013(1) RRT 350, 2000(2) RLW 911, 2018(2) DNJ 497, 2015(1) DNJ 443 पेश कर जैर निगरानी को स्वीकार करने निवेदन किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने लिखित बहस प्रस्तुत की एवं वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 वर्ष 1984 से ही अपनी पट्टा सुदा भूमि पर काबिज है। जैर निगरानी गलत तथ्यों के आधार पर 40 वर्षो के बाद म्याद बाहर पेश की है। ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा पंचायती राज नियमों की पालना करते हुये विधिवत तरीके से जारी किया है, जिसमें नियमानुसार सम्पुर्ण प्रक्रिया अपनाई गयी है। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी को 4001 रूपये में पट्टा विक्रय नहीं किया है बल्कि 400 रूपये में आवेदन के साथ नक्शा शुल्के के लिये गये है, जो मिसल के संलग्न है। प्रार्थीया जैर निगरानी में प्रभावित पक्षकार भी नहीं है। जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी की पुश्तैनी कब्जासुदा भूमि पर जारी किया गया है, जो कि प्रार्थीया के पट्टे के पश्चिम दिशा में स्थित है जबकि प्रार्थीया का अपने घर में आना जाना उत्तर दिशा के रास्ते से होता है। प्रार्थीया से पूर्व के मकान के हकदारो का भी उत्तर दिशा से ही आना जाना होता था, जिन्होने इस बाबत् कभी भी आपत्ति नहीं की है। अधिवक्ता प्रार्थीया यह सिद्ध नहीं कर पाये कि जैर भूखण्ड रास्ते की जमीन है और न ही इसके सम्बन्ध में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत किये है। यदि मिसल में कोई तकनीकी त्रुटि रह जाती है तो उसके लिये अप्रार्थी जिम्मेदार नहीं हैं, मौके पर हमारी तारंबदी कर रखी है

अति. जिला कलेक्टर, पाली

तथा अप्रार्थी मौके पर काबिज है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीया को जैर भूखण्ड के बेचान का मना करने पर प्रार्थीया ने रंजिशवश बिना किसी आधारो के जैर निगरानी प्रस्तुत की है। इसलिये प्रार्थीया की जैर निगरानी को खारिज फरमावे।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत राणावास द्वारा जारी मिसल संख्या 30 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 नारायणलाल पुत्र नेनाजी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 43 दिनांक 29.03.1984 विरूद्ध पेश की है। वक्त बहस अधिवक्ता प्रार्थीया ने मुख्य रूप से यह कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा रास्ते की भूमि पर जारी किया गया है, जिसकी ताईद में अधिवक्ता प्रार्थीया ने ठिकाना चण्डावल द्वारा जारी पट्टे प्रस्तुत किये। जिसके अनुसार ठिकाना चण्डावल ने पट्टा संख्या 48 दिनांक 28.08.1946 प्रताप पुत्र लका एवं भोला पुत्र चौथा के पक्ष में जारी किया, जिसके चतुर्दशी में पश्चिम दिशा में 18 गज चौडा आम रास्ता अंकित है। इसी प्रकार ठिकाना चण्डावल द्वारा जारी अन्य पट्टा संख्या 45 दिनांक 28.08.1946 तुलच्छीराम, उम्मेद, वना, हुकमा, बाबु बेटा पोता कनीराम माली एवं पट्टा संख्या 46 दिनांक 28.08.1946 भोला, शंकरलाल, रामचंद बेटा पोता चौथा माली के पक्ष में जारी किया, जिसके पडौस में भी पश्चिम दिशा में 18 गज चौडा आम रास्ता अंकित है। साथ ही ग्राम पचांयत द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टे में अंकित चतुर्दशी अनुसार पूर्व दिशा में गली 10 फुट, पश्चिम दिशा में गली 10 फुट, उत्तर दिशा में सडक व दक्षिण दिशा में रास्ता 14 फीट है, जिसके सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ्स के तुलनात्मक अध्ययन से भी यह जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत ने रास्ते की भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। जिसके सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1984 RLW 528 (a) - The colelctor may be justified in holding that the land which forms part of the public way cannot be sold by the Gram panchayat because those lands which form part of the public streets and pathways are vested in the Gram panchayat only as a trustee thereof and the gram panchayat has no right to dispose of the same by way of sale or otherwise. तथा न्यायिक दृष्टान्त 2013(1) RRT 350 भी इसका समर्थन करते है।

इसके अतिरिक्त यह भी पाया कि मिसल के अवलोकन से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण आज्ञा पूर्व से हस्तलिखित एक कार्बन प्रति में हैं। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आज्ञासूची कब दर्ज की गयी कि कोई दिनांक अंकित नहीं है केवल चतुर्थ आज्ञासूची में दिनांक का अंकन है। प्रथम आज्ञासूची में अंकितानुसार प्रार्थी की रिपोर्ट पेश हुई परन्तु प्रार्थी द्वारा किस दिनांक को आवेदन किया गया इस बाबत मिसल में कोई तथ्य दर्ज नहीं है। द्वितीय आज्ञासूची अनुसार मौका निरीक्षण हेतु नियुक्त वार्ड पंचों का नाम कार्बन प्रति में रिक्त स्थान पर नीली स्याही के पेन से अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त तृतीय एवं चतुर्थ आज्ञासूची में आवेदक का नाम एंव जैर भूखण्ड से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी हेतु केवल रिक्त स्थान छोडा हुआ है। जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में मिसल की द्वितीय आज्ञासूची की पालना में जारी नक्शे पर न तो नक्शे बनाने वाले के हस्ताक्षर है और न ही सायल के

अति. जिला कलेक्टर, पाली

हस्ताक्षर है एवं न ही नक्शे पर किसी भी दिनांक का अंकन है। साथ ही द्वितीय आज्ञासूची अनुसार मौका निरीक्षण तीन वार्ड पंचों को नियुक्त किया गया था लेकिन भूमि के निरीक्षण प्रपत्र पत्र केवल दो वार्ड पंचों के ही हस्ताक्षर है जिस पर न तो भूखण्ड का क्षेत्रफल अंकित है और न ही किसी दिनांक का अंकन है। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने पंचायत राज नियमों की अक्षरशः पालना नहीं करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो विधि सम्मत नही होने से खारीज योग्य है।

पंचायती राज नियम के अनुसार जारी आपत्ति ईश्तहार दो प्रतियों में तैयार किया जाकर उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगायी जायेगी, दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर होने चाहिये जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में जारी आपत्ति ईश्तहार पर किसी भी दिनांक का अंकन नहीं है और न ही पंचायत की मोहर लगी हुई है। साथ ही आपत्ति ईश्तहार का सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में किसी भी गवाह के हस्ताक्षर भी नहीं है। साथ ही मिसल एवं पट्टे के अवलोकन से यह भी स्पष्ट जाहिर नहीं होता है कि जैर निगरानी भूखण्ड कहा पर स्थित है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने वक्त बहस एंव अपनी लिखित बहस में यह उज्र किया कि अप्रार्थी संख्या 1 को 4001 रूपये में पट्टा विक्रय नहीं किया है बल्कि 400 रूपये आवेदन के साथ में नक्शा शुल्क के लिये गये है परन्तु जैर निगरानी पट्टे के अवलोकन से ज्ञात होता है कि भूमि का मूल्य 4001/– अक्षरे चार हजार एक रूपये जरिये निलामी से जैर निगरानी एट्टा क्रेता के पक्ष में पक्ष में सम्पादित किया जाता है। अर्थात् अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 अपना यह उज्र सिद्ध करने में असमर्थ रहे। जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में मिसल में सम्पूर्ण कार्यवाही पुश्तैनी कब्जा मानकर करते हुये आज्ञा दिनांक 29.03.1984 में पुश्तैनी कब्जे के आधार पर पट्टा जारी करने के आदेश दिये गये जबकि जैर निगरानी पट्टा में अंकितानुसार यह पट्टा निलामी से जारी किया गया। उपरोक्त दोनो तथ्य विरोधाभाषी होने से भी जैर निगरानी पट्टे को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में कायम मिसल पूर्व से हस्तलिखित एक कार्बन प्रति है, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आज्ञासूची में कोई दिनांक अंकित नहीं है केवल चतुर्थ आज्ञासूची में दिनांक का अंकन है। मौका निरीक्षण हेतु वार्ड पंचों का नाम द्वितीय आज्ञासूची रिक्त स्थान पर नीली स्याही के पेन से अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त तृतीय एवं चतुर्थ आज्ञासूची में आवेदक का नाम एंव जैर भूखण्ड से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी हेतु केवल रिक्त स्थान छोडा हुआ है। नक्शे पर न तो नक्शे बनाने वाले के हस्ताक्षर है एवं न ही सायल के हस्ताक्षर है तथा यह नक्शा कब बनाया गया के सम्बन्ध में नक्शे पर किसी भी दिनांक का अंकन नहीं है। साथ ही भूमि के निरीक्षण प्रपत्र पत्र केवल दो वार्ड पंचों के ही हस्ताक्षर है जिस पर न तो भूखण्ड का क्षेत्रफल अंकित है और न ही किसी दिनांक का अंकन है। ग्राम पंचायत जारी आपत्ति

अति. जिला कलेक्टर, पाली

ईश्तहार पर किसी भी दिनांक का अंकन नहीं है और न ही पंचायत की मोहर लगी हुई है तथा न ही किसी सहजदृश्य स्थान पर नोटिस चस्पानगी के सम्बन्ध में गवाह के हस्ताक्षर है। जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में मिसल में सम्पूर्ण कार्यवाही पुश्तैनी कब्जा मानकर की गयी परन्तु जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में निलामी से निष्पादित किया गया, जो आपस में विरोधाभाषी है! पत्रावली के संलग्न विक्रय विलेख दिनांक 12.11.2021, ठिकाना चण्डावल द्वारा जारी पट्टा संख्या 45, 46, 48 में अंकित पडौस एवं अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ्स से भी यह स्पष्ट जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत ने रास्ते की भूमि का विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो काबिले खारिज योग्य है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत राणावास द्वारा जारी मिसल संख्या 30 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 नारायणलाल पुत्र नेनाजी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 43 दिनांक 29.03.1984 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली

निर्णय आज दिनांक 11/7/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली